

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 18 : इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण

इस अधिनियम के अधीन,—

- (क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और केन्द्रीय सरकार एकीकृत कर खाते से इस प्रकार घटी हुई रकम के बराबर रकम को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, केन्द्रीय कर खाते में अंतरित कर देगी;
- (ख) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और केन्द्रीय सरकार एकीकृत कर खाते से इस प्रकार घटी हुई रकम के बराबर रकम को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संघ राज्यक्षेत्र कर खाते में अंतरित कर देगी;
- (ग) क्रमिक राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और उसे समूचित राज्य सरकार को प्रभाजित कर दिया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार इस प्रकार प्रभाजित रकम को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, समूचित राज्य सरकार के कर खाते में अंतरित कर देगी।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कराधेय व्यक्ति के संबंध में “समूचित राज्य से” ऐसा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जहां वह रजिस्ट्रीकृत है या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है।